

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर, श्री करणपुर

भोलो सिंह आदि बनाम

संख्या ..... 71 / 2024 अन्तर्गत धारा

नाम एवं श्री इय आदि पालना में

क्र.सं.	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
20/8/24	<p>अधिवक्ता प्राची उपस्थित। श्रीमान 100 प्रहोस्य अन्य कार्य में उपस्थित है। अज्ञात की तलवी के नॉटिस प्राप्त। पत्रावली दिनांक 29/8/24 को पेश ता <u>Kamru</u></p>
29/8/24	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 1 ता 6 को रोक-र कर उ बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची सं 1 ता 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्राची अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राची पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अभ्यापी विषयानुसार दिनांक 31/07/24 मूलवाद के विणये एक स्थायी की जाती है। पत्रावली विणित लेकर गवर्नर से काम लेकर दायित्व निरंतर है।</p>

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर

